छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 216/2006 एवं
अपील प्रकरण क्रमांक 271/2006

श्री आर.एस. चतुर्वेदी,
एच 2/3, विकास नगर कालोनी,
कुददुण्ड, जिला–बिलासपुर
(छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
अपर आयुक्त आबकारी
आबकारी आयुक्त कार्यालय
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 23 सितम्बर 2006)

श्री आर.एस. चतुर्वेदी निवासी बिलासपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के अंतर्गत अपर आबकारी आयुक्त (अपीलीय अधिकारी) के आदेश दिनांक 27.12.05 से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 13.12.05 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके पुत्र स्व0 श्री अनिल चतुर्वेदी के देय स्वत्त्वों के संबंध में जानकारी चाही। अपीलार्थी ने उसके स्वर्गीय पुत्र के द्वारा जी. पी.एफ. एवं जी.आई.एस. रूल्स के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों द्वारा दिये गये आवेदन पर आबकारी आयुक्त द्वारा नियमानुसार कार्यवाही क्यों नही की गई तथा क्या कार्यवाही की गई, इसकी जानकारी चाही। इसके साथ ही अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रकरण क्रं. 271 के अनुसार अपीलार्थी ने माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन को दिये गये पत्र दिनांक 03 जून 2003 के संदर्भ में विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी तथा विभाग के द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति चाही। उनके द्वारा यह भी जानकारी चाही गई कि मृतक अनिल की माता कमला चतुर्वेदी के आवेदन के अनुसार आधा भुगतान रोकने के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति भेजी जावे। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 27.12.05 के द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई जिसमें कि उल्लेख किया गया कि माननीय मुख्यमंत्रीजी को दिये गये पत्र के संदर्भ में वाणिज्यकर विभाग को आबकारी आयुक्त कार्यालय से प्रतिवेदन

भेजा गया जिसमें कि उल्लेख किया गया कि स्व. श्री अनिल चतुर्वेदी की पत्नी एवं उनके पिता तथा माता के मध्य उत्तराधिकार को लेकर विवाद की स्थिति बनी। दोनों पक्षों के बीच न्यायालय में प्रकरण लंबित है, अतः शासकीय अधिवक्ता के सलाह पर यह निर्णय लिया गया कि सक्षम न्यायालय से विधिवत् उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावे। न्यायालय के निर्देशानुसार उनकी पत्नी को देय स्वत्वों का 50 प्रतिशत की राशि दी जा चुकी है। इस जानकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील आबकारी आयुक्त अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 13.02.06 को अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई तथा यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी को उपलब्ध अभिलेख बता दिया जावे तथा जो भी जानकारी अपीलार्थी चाहे उसे नियमानुसार आवेदन देने पर प्रदान की जावे। इससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

3. आयोग के समक्ष अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी के द्वारा लिखित जवाब एवं तर्क प्रस्तुत किये गये। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि पेंशन नियमों एवं जी.पी.एफ. नियमों के अंतर्गत आबकारी आयुक्त के द्वारा उनके स्वर्गीय पुत्र द्वारा दिये गये नामांकन के अनुसार नामांकित व्यक्तियों को भुगतान क्यों नहीं किया गया। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि नियमों के अनुसार आबकारी आयुक्त भुगतान को नामांकित व्यक्तियों को देने के लिए बाध्य है। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि स्व. अनिल चतुर्वेदी की पत्नी ने व्यवहार न्यायालय, अंबिकापुर से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त किया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की थी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी को दिये गये उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं बतलाई किन्तु यह निर्देश दिये कि मृतक की मां चाहे तो अपने अंश को प्राप्त करने के लिए व्यवहार न्यायालय में उत्तराधिकार हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर सकती है। श्रीमती कमला चतुर्वेदी की ओर से व्यवहार न्यायालय वर्ग–एक अंबिकापुर में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु वाद दायर किया गया है। विभाग के द्वारा शासकीय अधिवक्ता से अभिमत लिया गया था। शासकीय अधिवक्ता उत्तराधिकार के संबंध में विवाद होने के कारण सक्षम न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के पश्चात् ही स्व0 श्री अनिल चतुर्वेदी के स्वत्वों की देय राशि का भुगतान किया जावे। इसी कारण नामांकन के अनुसार भुगतान किया जाना संभव नहीं है। इसकी सूचना अपीलार्थी को दिनांक 27.12.05 के पत्र द्वारा दी जा चुकी है। विभाग के द्वारा अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी दे दी गई है।

4. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने यह जानकारी चाही थी कि किस आधार पर उनके स्वर्गीय पुत्र के द्वारा दिये गये नामांकन के अनुसार जी.पी.एफ., जी.आई.एस. आदि स्वत्वों का भुगतान नहीं किया गया है तथा इस संबंध में लिये गये निर्णय की प्रति दी जावे। अपीलार्थी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 271 में माननीय मुख्यमंत्रीजी को दिये गये आवेदन पत्र के संबंध में कार्यवाही की सूचना मांगी थी वह भी विस्तृत रूप से अपीलार्थी को दी जा चुकी है। यद्यपि अपीलार्थी को विस्तृत रूप से

पत्र के द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई है किन्तु प्रकरण को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को शासकीय अभिभाषक के द्वारा दिये गये अभिमत जिसके अनुसार आबकारी आयुक्त के द्वारा स्व. अनिल चतुर्वेदी के स्वत्वों का भुगतान न्यायालय के निर्णय होने तक न किये जाने पर विचार किया गया है, उसकी प्रति प्रदान किये जावे, साथ ही आबकारी आयुक्त के द्वारा अपीलार्थी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिये गये आवेदन पर वाणिज्यकर विभाग को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि भी अपीलार्थी को प्रदान की जावे। अपीलार्थी को नोटशीट पर लिये गये निर्णय की प्रति भी प्रदान की जावे जिस पर कि आबकारी आयुक्त के द्वारा सक्षम न्यायालय के द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक देय भुगतानों को न किये जाने का निर्णय लिया गया है। अपीलार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों को स्व. अनिल चतुर्वेदी के द्वारा किये गये नामांकन अनुसार देय स्वत्वों का भुगतान प्राप्त करने की पात्रता के संबंध में आयोग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

5. यह सभी प्रतिलिपियां प्रमाणित कर अपीलार्थी को निःशुल्क 15 दिन के अंदर प्रदान की जावें।

6. चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी को सभी तथ्यों से निर्धारित अवधि में अवगत करा दिया गया है तथा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रमाणित हो सके कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा द्वेषवश अथवा जानबूझकर वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः प्रतिअपीलार्थी पर कोई अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। अपीलार्थी को यदि पूर्व में उल्लेखित अभिलेख उपलब्ध करा दिये जाते तो अपीलार्थी को आर्थिक क्षति नहीं होती। पूर्व में उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(8)(ख) अंतर्गत आबकारी विभाग के द्वारा अपीलार्थी को 250/– रूपए मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

7. उपरोक्त आदेशानुसार अभिलेखों की प्रतियां अपीलार्थी को प्रदान की जावें। इस निर्देश के साथ अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

8/ प्रकरण क्रमांक–216 एवं 271 समान प्रकृति का होने के कारण आदेश एक साथ पारित किया जा रहा है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त